

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला शिवपुरी

क्रमांक/स्थापना/प्रा.शि.गायन-वादन नियु./2026/4152

शिवपुरी, दिनांक 04.07.26

//आदेश//

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय-समय पर संशोधित भर्ती नियम के नियम 5 (4) (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक गायन वादन पद हेतु आयोजित शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के परिणाम के आधार पर जारी चयन सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक गायन वादन के पद में उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है:-

SN	ROLL NO	RANK	NAME AND F/H NAME	ADDRESS	CATE GORY	SELECTED CATEGORY	POSTING PLACE	DISTRICT
1	6003250652854	30	ANIMA ASTHANA F/H NAME- RAHUL ASTHANA	WARD 39 THAKURPURA NEAR PANI KI TANKI SHIVPURI SHIVPURI SVP MADHYA PRADESH 473551	UR	UR/X/F	DISE- 23060116109 PMSHri-GHS PHYSICAL COLONY WARD 31 (1 to 10)	Shivpuri
2	6003250725613	189	ANURAG BANSAL F/H NAME- RAMNIWAS BANSAL	AMRAKUNJ ADARSH COLONY MS ROAD SABALGARH MOR MADHYA PRADESH 476229	EWS	EWS/X/O	DISE- 23060303133 GHSS MODEL BADARWAS(6 to 12)	Shivpuri
3	6003250628738	238	VIKAS SONI F/H NAME- NAND KISHOR SONI	WARD 9 SHANKAR COLONY NEAR DR M D GUPTA SHIVPURI SVP MADHYA PRADESH 473551	OBC	OBC/X/O	DISE- 23060118607 GHSS GIRLS SHIVPURI(9 to 12)	Shivpuri
4	6003250694328	240	SATEESH BAGHEL F/H NAME- HARNAM SINGH BAGHEL	52 KEKHAUDA KEKHAUDA KANKAR NARVAR SVP MADHYA PRADESH 473865	OBC	OBC/X/O	DISE- 23060702517 GHSS SIRSOUD KARERA(9 to 12)	Shivpuri
5	6003250672645	296	BRIJMOHAN SINGH JATAV F/H NAME- DHANIRAM JATAV	0 GRAM GILGAWAN POST KOLARAS TEH KOLARAS SVP MADHYA PRADESH 473770	SC	SC/X/O	DISE- 23060208916 GHSS LUKWASA(9 to 12)	Shivpuri
6	6003250670692	319	VARSHA PAL F/H NAME- DEENDAYAL PAL	MAHENDRA NAGAR GADAIPURA BIRLA NAGAR GWALIOR GWL MADHYA PRADESH 474004	OBC	OBC/X/F	DISE- 23060715569 GHSS DINARA(9 to 12)	Shivpuri



SN	ROLL NO	RANK	NAME AND F/H NAME	ADDRESS	CATE GORY	SELECTED CATEGORY	POSTING PLACE	DISTRICT
7	6003250703353	320	PAWAN KUMAR MAHOR F/H NAME- SURESH CHANDRA MAHOR	KARNAL SAHABH KI DYODI JALALKHAN KI GOTH SHINDE KI CHHAWANI GWALIOR GWL MADHYA PRADESH 474001	SC	SC/X/O	DISE- 23060112003 GHSS TANPUR(1 to 12)	Shivpuri
8	6003250649635	715	TAPASYA SHUKLA F/H NAME- RAMKUMAR DUBEY	WARD NO 14 CHHOTA BAZAR PICHHORE DABRA GWL MADHYA PRADESH 475115	EWS	GF/UR/X/F	DISE- 23060903908 GHSS KARARKHEDA(9 to 12)	Shivpuri
9	6004250781041	797	YOGESH BHARGAVA F/H NAME- PARMANAND BHARGAVA	GURJAR COLONY BY PASS ROAD GUNA GUNA GUN MADHYA PRADESH 473001	UR	GF/UR/X/O	DISE- 23060610503 GHSS GOVARDHAN(1 to 12)	Shivpuri

2/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.-2 (छट्वां वेतनमान 5200-20200 +2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल-6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300-80500 के न्यूनतम वेतन रुपये 25300/- + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के संशोधित नियम 13(राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

3/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परीवीक्षा पर की जाती है। परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परीवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

4/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

5/ संबंधित अभ्यर्थी को दिनांक 7 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 के मध्य पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। प्राथमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगे। दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है:-

- नियुक्ति आदेश
- पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस
- जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र)

9



- IV. आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग (E.W.S.) के अभ्यर्थियों लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र
- V. मूल निवासी प्रमाण पत्र
- VI. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र—न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है)
- VII. अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर हुई है)
- VIII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति
- IX. अभ्यर्थी के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता संबंधी दस्तावेज।
- X. भूतपूर्व सैनिक की दशा में वैध प्रमाणपत्र।
- XI. बोनस प्राप्त करने की स्थिति में NCC का C प्रमाणपत्र
- XII. कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा की अंकसूची
- XIII. अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर में नही आने संबंधी घोषणा (परिशिष्ट- 1)
- XIV. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट- 2)

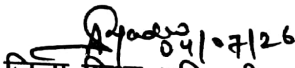
6/ बिन्दु 5 में उल्लेखित दस्तावेजों के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र (पुलिस वेरीफिकेशन) भी प्रस्तुत करना होगा।

7/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

8/ परीवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

9/ परीवीक्षा अवधि के संबंध में भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

विशेष टीप:- यदि चरित्र /जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक योग्यता/शपथपत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

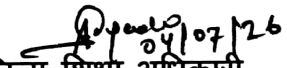

 जिला शिक्षा अधिकारी
 जिला शिवपुरी

पृ. क्रमांक/स्थापना/प्रा.शि.गायन-वादन नियु./2026/4153
 प्रतिलिपि:-

शिवपुरी, दिनांक 04.07.26

1. विशेष सहायक, माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।

4. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र।
6. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
7. संभागायुक्त ग्वालियर, संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश।
8. कलेक्टर जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
9. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला शिवपुरी म.प्र।
11. संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड जिला शिवपुरी, म.प्र. की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके विकास खण्ड में पदांकित संबंधित सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं पदांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने पर ही पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। दस्तावेज सत्यापन अथवा अभ्यर्थी की योग्यता/पात्रता के संबंध में कोई विसंगति पाए जाने पर संचालनालय को तत्काल सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करें।
12. संकुल प्राचार्य शास.उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. प्राचार्य शास.उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (म.प्र.) को दिनांक 7 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 के मध्य अपनी उपस्थिति दें।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला शिवपुरी

अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं.....विभाग में.....शिक्षक पद पर नियुक्ति के संबंध में निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ।

(1) मैं.....पुत्र/पुत्रीश्री.....निवासीग्राम/कस्बा/शहर.....जिला.....मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं.....जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

(2) मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात् क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मेरा जाति प्रमाण-पत्र एवं वर्ष 2021-22 का आय प्रमाण पत्र संलग्न है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

रोल नम्बर.....

:: शपथ पत्र ::

फोटो

मैं.....आयु.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी.....
शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ-

1. यह कि मेरा चयन.....पद पर हुआ है।
2. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है।
3. यह कि मुझे आज दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।
4. यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है।
5. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है।
6. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण / संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है।
7. यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियां दी हैं एवं जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सही एवं सत्य हैं।
8. यह कि यदि मेरे द्वारा जो जानकारियां दी गई हैं और जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं यदि उनमें कोई भी जानकारी/दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जोकि मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा।
9. यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरा नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जाता है और यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।
10. यह कि मेरी दो से अधिक जीवित संतान में किसी का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात नहीं हुआ है।
11. मैं अविवाहित हूँ / मैंने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह नहीं किया है।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता.....सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की कंडिका क्रमांक 1 लगायत 11 में दी गई समस्त जानकारियां मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही हैं, जिनका सत्यापन आज दिनांक..... को स्थान में किया गया है।

शपथग्रहिता